07/01/25 आज यह पत्रावली पेश हुयी। वकील वादी उप०। बहुलाय वादी प्रार्थी की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शा० कि किया गया। पत्रावली बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। नक्कल (?) भुकर हाकर नम्बर से बन हो।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड)राज.

ासीन अधिकारी :– रामकिशोर मीना–II (आर.ए.एस)
स्व प्रार्थना न0 :– 12 / 2024
र दिनांक :– 05.04.2024
ाय दिनांक :– 07/01/25

उनवान

1. रोहिताश्व पुत्र श्री रिछपाल उम्र 57 साल जाति अहीर निवासी शिमला तहसील बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड राज० ...प्रार्थी

बनाम्

1. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बहरोड तहसील बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड राज० ....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1955 बाबत नाम दूरुस्ती

स्थित :–

1. रोशनलाल यादव अधिवक्ता प्रार्थी।

–: निर्णय :–

आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते आदेश हेतु पेश कि गई। हमने पत्रावली अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मन प्रार्थी रोहिताश्व ा श्री रिछपाल जाति अहीर निवासी ग्राम शिमला तहसील बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड ज० का रहने वाला हूँ। प्रार्थी के पिता रिछपाल पुत्र श्री किशना व चाचा कैन्हया, मोहन ान किशना की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 347 रकबा 0.33 एयर, वाके ग्राम ामपुर तहसील बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड राज० में स्थित है जिसमे प्रार्थी के पिता छपाल का 1/18 भाग कैन्हया का 1/18 भाग मोहन का 1/18 भाग निहित है। राजस्व कार्ड हाल मे प्रार्थी के पिता का नाम रिछपाल पुत्र श्री गुलजी एवं चाचा कैन्हया पुत्र श्री लजी व मोहन पुत्र श्री गुलजी साकिन शिमला खातेदार दर्ज है जो गलत है रिछपाल, न्हया, मोहन के पिता का नाम किशना है। परन्तु हाल राजस्व रिकार्ड मे कैन्हया, मोहन, छपाल के पिता का नाम गुलजी दर्ज है जो गलत है जबकी रिछपाल, कैन्हया, मोहन के ता का नाम किशना है गुलजी तो रिछपाल, कैन्हया व मोहन का भाई था जो नावल्द विवाहित फौत हो चुका है। आराजी खसरा नम्बर 347 रकबा 0.33 एयर वाके ग्राम श्यामपुर हसील बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड राज० की हाल जमाबन्दी मे रिछपाल पुत्र गुलजी, न्हया पुत्र गुलजी, मोहन पुत्र श्री गुलजी जाति अहीर निवासी शिमला तहसील बहरोड जिला ोटपूतली–बहरोड को कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर रिछपाल पुत्र श्री किशना, न्हया पुत्र किशना, मोहन पुत्र किशना जाति अहीर निवासी शिमला तहसील बहरोड जिला ोटपूतली–बहरोड राज० दर्ज किया जाना न्याय संगत है। प्रार्थी ने नाम सही करवाने हेतु ार्थना पत्र राजस्व कैम्प शेरपुर में पेश किया तो प्रार्थी का प्रार्थना पत्र यह कहकर लौटा दिया या कि प्रार्थी का प्रकरण धारा 136 एल.आर.एक्ट मे वास्ते शुद्धी हेतु श्रीमान उपखण्ड धिकारी महोदय बहरोड के समक्ष प्रेषित है इसलिए प्रार्थी को प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष श किया जाना लाजमी आया है। आराजी वाके ग्राम श्यामपुर तहसील बहरोड जिला ोटपूतली–बहरोड राज० में स्थित है जो न्यायालय श्रीमानके क्षेत्राधिकार मे होने से प्रार्थना त्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश किया गया है। श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना त्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 347 रकबा 0.33 एयर वाके ग्राम श्यामपुर हसील बहरोड जिला कोटपतली–बहरोड राज० मे हाल राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी के पिता व ाचा का नाम रिछपाल पुत्र श्री गुलजी, कैन्हया, मोहन पुत्रान गुलजी जाति अहीर निवासी

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

मला तहसील बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड राज० जो गलत दर्ज है जो गुलजी प्रार्थी पिता का भाई था जिसका स्वर्गवास हो चुका है जो नाओलाद था तथा प्रार्थी के पिता छपाल व गुलजी, मोहन का भी स्वर्गवास हो चुका है तथा प्रायर्थी के पिता नाम रिछपाल पुत्र लजी, कैन्हया, मोहन पुत्रान गुलजी को कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर रिछपाल त्र किशना हिस्सा 1/18 भाग, कैन्हया पुत्र किशना हिस्सा 1/18 भाग, मोहन पुत्र किशना स्सा 1/18 भाग जाति अहीर निवासी शिमला तहसील बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड ज० दर्ज किया जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे। आपकी अति कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। प्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किये ाने की सूरत में राज्य सरकार को कोई आपत्ति नही है व ना कोई राजस्व हानि है।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी तथा बहस कुलाय पर मनन किया किया। प्रार्थी रोहिताश्व पुत्र रिछपाल जाति अहीर निवासी शिमला हसील बहरोड़ जमाबन्दी संवत 2077 ग्राम श्यामपुरा के खाता संख्या 10 में दर्ज कन्हैया पुत्र ुजी ,मोहनलाल पुत्र गुलजी, रिछपाल पुत्र गुलजी कि बल्दीयत में दर्ज गुलजी को लमजन कर किशना दर्ज करवाने की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट में पेश या है। जो जमाबन्दी संवत 2042 में प्राथी के पिता का नाम रिछपाल पुत्र किशना हिस्सा /18 भाग, कैन्हया पुत्र किशना हिस्सा 1/18 भाग, मोहन पुत्र किशना हिस्सा 1/18 भाग ाति अहीर निवासी शिमला खातेदार दर्ज है। कार्यालय ग्राम पंचायत शेरपुर ने भी प्रार्थी के ता का नाम किशना अंकित किया है। जिस सूरत में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार होने ग्य पाया जाता है।

–: आदेश :–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट बाबत आराजी खसरा म्बर 347 रकबा 0.33 एयर वाके ग्राम श्यामपुर तहसील बहरोड स्वीकार किया जाता है। हसीलदार बहरोड को प्रार्थी के पिता रिछपाल पुत्र गुलजी, कैन्हया, मोहन पुत्रान गुलजी को लमजन किया जाकर उसके स्थान पर रिछपाल पुत्र किशना हिस्सा 1/18 भाग, कैन्हया पुत्र कशना हिस्सा 1/18 भाग, मोहन पुत्र किशना हिस्सा 1/18 भाग जाति अहीर निवासी मला खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अहकाम बनाम तहसीलदार जारी ो।

आज दिनांक 07/01/25 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में नाया गया।

(रामकिशोर मीना–II)
(आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड)